अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फ़रवरी, 2015

का.आ. 442(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2302(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट, भक्तिवेदान्त अस्पाताल सृष्टि काम्प्लेक्स, भक्तिवेदांत स्वामी मार्ग, मीरा रोड (पू.) जिला थाने -401107 महाराष्ट्र'' द्वारा ''भक्तिवेदांत मरणासन्न रोगियों का अस्पताल'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 से समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 483.46 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 9 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 31.7.2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 1968(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-2017 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ;

और जबकि परियोजना की अनुमोदित लागत के "483.46 लाख रुपए की बजाए" 483.46 लाख रुपए के रूप में संशोधित किए जाने की संभावना है, कार्य के कार्यक्षेत्र में (i) स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा का सृजन, चलते-फिरते क्लीनिक, जांच विभाग जैसे निदान, एक्सरे विज्ञान आदि सहित सामान्य बाहरी रोगी सेवाएं (चिकित्सा और सार्जिकल की सभी शाखाएं) और भर्ती रोगी सेवाएं (ii) परियोजना लागत में परियोजना की अनुमोदित लागत में बिना किसी परिवर्तन के मरणासन्न रोगियों के अस्पताल के लिए निर्माण, उपस्कर, सुविधा सृजन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के लिए 150 लाख रुपए और 50 लाख रुपए की कार्पस निधि शामिल है, के रूप में शामिल हो सकता है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, (i) स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा का सृजन, चलते-फिरते क्लीनिक, जांच विभाग जैसे निदान, एक्सरे विज्ञान आदि सहित सामान्य बाहरी रोगी सेवाएं (चिकित्सा और सार्जिकल की सभी शाखाएं) और भर्ती रोगी सेवाएं (ii) परियोजना लागत में परियोजना की अनुमोदित लागत में बिना किसी परिवर्तन के मरणासन्न रोगियों के अस्पताल के लिए निर्माण, उपस्कर, सुविधा सृजन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के लिए 150 लाख रुपए और 50 लाख रुपए की कार्पस निधि शामिल है, के रूप में शामिल हो सकता है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट, भक्तिवेदान्त अस्पाताल सृष्टि काम्प्लेक्स, भक्तिवेदांत स्वामी मार्ग, मीरा रोड (पू.) जिला थाने -401107 महाराष्ट्र" द्वारा चलाई जा रही "भक्तिवेदांत मरणासन्न रोगियों का अस्पताल" की परियोजना अथवा स्कीम की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना कार्य के कार्यक्षेत्र का (i) स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा का सृजन, चलते-फिरते क्लीनिक, जांच विभाग जैसे निदान, एक्सरे विज्ञान आदि सहित सामान्य बाहरी रोगी सेवाएं (चिकित्सा और सार्जिकल की सभी शाखाएं) और भर्ती रोगी सेवाएं (ii) परियोजना लागत में परियोजना की अनुमोदित लागत में बिना किसी परिवर्तन के मरणासन्न रोगियों के अस्पताल के लिए निर्माण, उपस्कर, सुविधा सृजन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के लिए 150 लाख रुपए और 50 लाख रुपए की कार्पस निधि शामिल है, के रूप में शामिल हो सकता है, एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

[सं. 72/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)